नोटशीट

आज नव पत्रावली प्रावीडिड की ओर से जरिए अधिवक्ता प्रा० पत्र प्रस्तुत होने पर पेशी में ली गई। प्रावी सं. 1-2 जरिए प्रावी सं. 3 एवं प्रावी सं- 3 स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रा-पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

अतः प्रावीडिड के निवेदन करने पर प्रार्थना पत्र प्रावीडिड जरिए निरस्त रसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तथा न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.06.2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर मूल वाद लंबित रहे।

रैवतपाल

09/07/2021

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.09.10 15:07:47 IST
Reason: SelfAttested